



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 वैशाख 1945 (श0)
(सं0 पटना 410) पटना, बुधवार, 17 मई 2023

परिवहन विभाग

अधिसूचना

17 मई 2023

सं० 06/वायु गुणवत्ता-09-11/2019 परि०-3485—वाहन जनित प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव के मद्देनजर सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से मोटरवाहन अधिनियम की धारा-115 के तहत पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद्, खगौल नगर परिषद् एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद् क्षेत्रों में विभागीय अधिसूचना सं०-6336 दिनांक-05.10.2021 द्वारा डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन पर दिनांक-31.03.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। पुनः गया नगर निगम एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्रों में भी मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 के अंतर्गत दिनांक 30.09.2023 की मध्य रात्रि से सभी प्रकार के डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है।

2. उपरोक्त के फलस्वरूप वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार के उद्देश्य से स्वच्छ ईंधन चालित वाहन (CNG एवं बैट्री चालित वाहन) के परिचालन को प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-8183 दिनांक-07.11.2019 द्वारा अधिसूचित बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019 की कंडिका-9(क) के रूप में निम्नलिखित प्रावधान जोड़े जाते हैं :-

डीजल चालित तिपहिया मालवाहक वाहनों को निम्नवत् अनुदान देय होगा।

- डीजल चालित अथवा पेट्रोल चालित तिपहिया मालवाहक वाहन का नए CNG चालित तिपहिया मालवाहक वाहन से प्रतिस्थापन पर ₹40000/- (चालीस हजार रुपये) एकमुश्त।
- डीजल चालित अथवा पेट्रोल चालित तिपहिया मालवाहक वाहन का नए बैट्री चालित तिपहिया मालवाहक वाहन से प्रतिस्थापन पर ₹25000/- (पच्चीस हजार रुपये) एकमुश्त।
- पेट्रोल चालित तिपहिया मालवाहक वाहन में CNG किट के Retrofitment पर ₹20000/- (बीस हजार रुपये) एकमुश्त।

3. पटना नगर निगम एवं दानापुर, खगौल तथा फुलवारीशरीफ नगर परिषद् क्षेत्रों के लिए बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019 अंतर्गत डीजल चालित तिपहिया मालवाहक वाहन के लिए जोड़ा गया उपरोक्त प्रावधान मात्र को लागू किया जाता है।

4. गया नगर निगम एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्रों में बिहार स्वच्छ ईंधन, 2019 (उपरोक्त कंडिका-2 के अनुरूप संशोधन सहित) का विस्तार किया जाता है। परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-8183 दिनांक-07.11.2019 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

5. बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019 का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2023-24 तक किया जाता है।
6. इस योजना के किसी कडिका के विवेचन तथा आवश्यकतानुसार योजना में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्द्धन एवं अन्य रूपांतरण प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार पाल,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 410-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>